संख्या-52/2021/896/22-2-2021-17(1024)/2019

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 13 अप्रैल, 2021***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अहसान पुत्र श्री शहीद, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर वर्तमान जनपद-शामली की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5182/प्रोवेशन-3/फार्म-ए(एम-02.03.2021) दिनांक-03.03.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अहसान पुत्र श्री शहीद, काजीवाडा आजाद चौक, थाना-शामली, जनपद-मुजफ्फरनगर हाल जनपद-शामली का निवासी है। बंदी ने दिनांक 08.10.2014 को 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हाथों में तमंचे लेकर इफ्तकार उर्फ ढोलू तथा शाहजाद तथा उसकी भतीजी रूकसाना के घर में घुस कर गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर कर इफ्तखा, रूखसाना तथा शाहजाद को घायल कर दिया, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया जहॉ उपचार के बाद तीनों बच गये किन्तु रूखसाना के पेट में ही शिशु की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को परीक्षण संख्या-746/2005 भा0द0सं0 की धारा-452, 307/34, 316/34, 504 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-10, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 11.12.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.04.2015 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है, जिसका क्रियात्मक अंश निम्नवत है:-

" The appellant had himself fired from a very close range in the head of Shahjad resulting fracture of Shahjad's head and injury of bullet in it. The appellant and his co-accused persons could not do anything more than the alleged charged act for murdering the three victims of the case namely Shahjad (PW-2), Iftekhar.(PW-5) and Rukhsana (PW-6). It is sheer strange incidence as to why none of three victims had not died in such circumstances. In these circumstances it is explicitly clear that no stone had been left unturned by appellant and his companions for committing the murder, but it is only grace of God that all the three victims survived. In such well planned, cold blooded attempt to murder resulting in almost fatal injuries to three victims and 11the death of unborn child deserves maximum punishment prescribed by law for it which is imprisonment for life. Therefore, sentence of imprisonment for life for offence punishable under section 307 IPC awarded by trial court is fully justified and proper. In these circumstances appeal on the point of sentence is also liable to be dismissed. 22.For the reasons discussed above this appeal is hereby dismissed."

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- बन्दी द्वारा दिनांक 09.02.2021 तक 16 वर्ष 00 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 01 माह 01 दिन की सपरिहार भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, शामली की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 04.10.2019 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। पुलिस अधीक्षक, शामली द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी पुन: अपराध करने में सशक्त होने व पैरोल पर रिहा किया गया तो पुन: वादी व उसके परिवार के विरूद्ध जघन्य अपराध कारित करने, बंदी को जनहित में अभिरक्षा में रखा जाना ही न्यायोचित होने, सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने व अभियुक्त की वादी से पुरानी रंजिश चलने, भाई व बेटे अपने परिवार का पालन पोषण करने में सक्षम है, यदि सिद्धदोष व्यक्ति को समयपूर्व रिहाई किया गया तो वादी व उसके परिवार के विरूद्ध जघन्य अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने की आख्या का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि जिला मजिस्ट्रेट, शामली की रिपोर्ट अनुसार बंदी का अभिभावक बंदी को नियंत्रण रखने में सक्षम नहीं है, के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत अर्हता पूर्ण न होने के कारण सिद्धदोष बन्दी अहसान पुत्र श्री शहीद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** की गयी है।

4- प्रश्नगत प्रकरण रिट याचिका (क्रिमि0) संख्या-391/2020 अहसान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.2021 के अनुपालन में तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी अहसान (बन्दी संख्या-15923) पुत्र श्री शहीद, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर वर्तमान जनपद-शामली के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-52/2021/896(1)/22-2-20221 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शामली।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-52/2021/896/22-2-2021-17(1024)/2019

दिनांक 13 अप्रैल, 2021 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अहसान पुत्र श्री शहीद, काजीवाडा आजाद चौक, थाना-शामली, जनपद-मुजफ्फरनगर हाल जनपद-शामली का निवासी है। बंदी ने दिनांक 08.10.2014 को 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हाथों में तमंचे लेकर इफ्तकार उर्फ ढोलू तथा शाहजाद तथा उसकी भतीजी रूकसाना के घर में घुस कर गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर कर इफ्तखा, रूखसाना तथा शाहजाद को घायल कर दिया, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया जहॉ उपचार के बाद तीनों बच गये किन्तु रूखसाना के पेट में ही शिशु की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को परीक्षण संख्या-746/2005 भा0द0सं0 की धारा-452, 307/34, 316/34, 504 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-10, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 11.12.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.04.2015 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है, जिसका क्रियात्मक अंश निम्नवत है:-

"The appellant had himself fired from a very close range in the head of Shahjad resulting fracture of Shahjad's head and injury of bullet in it. The appellant and his co-accused persons could not do anything more than the alleged charged act for murdering the three victims of the case namely Shahjad (PW-2), Iftekhar.(PW-5) and Rukhsana (PW-6). It is sheer strange incidence as to why none of three victims had not died in such circumstances. In these circumstances it is explicitly clear that no stone had been left unturned by appellant and his companions for committing the murder, but it is only grace of God that all the three victims survived. In such well planned, cold blooded attempt to murder resulting in almost fatal injuries to three victims and 11the death of unborn child deserves maximum punishment prescribed by law for it which is imprisonment for life. Therefore, sentence of imprisonment for life for offence punishable under section 307 IPC awarded by trial court is fully justified and proper. In these circumstances appeal on the point of sentence is also liable to be dismissed. 22. For the reasons discussed above this appeal is hereby dismissed."

3- बन्दी द्वारा दिनांक 09.02.2021 तक 16 वर्ष 00 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 01 माह 01 दिन की सपरिहार भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, शामली की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 04.10.2019 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। पुलिस अधीक्षक, शामली द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी पुन: अपराध करने में सशक्त होने व पैरोल पर रिहा किया गया तो पुन: वादी व उसके परिवार के विरूद्ध जघन्य अपराध कारित करने, बंदी को जनहित में अभिरक्षा में रखा जाना ही न्यायोचित होने, सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने व अभियुक्त की वादी से पुरानी रंजिश चलने, भाई व बेटे अपने परिवार का पालन पोषण करने में सक्षम है, यदि सिद्धदोष व्यक्ति को समयपूर्व रिहाई किया गया तो वादी व उसके परिवार के विरूद्ध जघन्य अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने की आख्या का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि जिला मजिस्ट्रेट, शामली की रिपोर्ट अनुसार बंदी का अभिभावक बंदी को नियंत्रण रखने में सक्षम नहीं है, के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत अर्हता पूर्ण न होने के कारण सिद्धदोष बन्दी अहसान पुत्र श्री शहीद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।